

धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात- अप्रैल,मई,जून,2021 स्थापना आदेश

**स्थापना आदेश-39 से 45 तक कुल सं.- 7**

क्रम सं	स्थापना आदेश संख्या	दिनांक	कार्रवाई
1	आदेश सं. 39/2021	28.04.2021	अनुवाद किया गया
2	आदेश सं. 40/2021	03.05.2021	अनुवाद किया गया
3	आदेश सं. 41/2021	24.05.2021	अनुवाद किया गया
4	आदेश सं. 42/2021	27.05.2021	अनुवाद किया गया
5	आदेश सं. 43/2021	27.05.2021	अनुवाद किया गया
6	आदेश सं. 44/2021	28.05.2021	अनुवाद किया गया
7	आदेश सं. 45/2021	28.06.2021	अनुवाद किया गया

**स्थापना परिपत्र - कुल सं.-3**

क्रम सं	स्थापना आदेश संख्या	दिनांक	कार्रवाई
1	परिपत्र सं. /2021	18.05.2021	अनुवाद किया गया
2	परिपत्र सं. 10/2021	25.06.2021	अनुवाद किया गया
3	परिपत्र सं. /2021	30.06.2021	अनुवाद किया गया





भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE  
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE  
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS  
प्रधान आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER  
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क  
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE  
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING  
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018  
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404  
फाइलसं.II/(3)/APPT/25/2020-ESTT दिनांक: 28.04.2021

आदेश सं.: 39/2021

विषय : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क अधीक्षक की श्रेणी में पदोन्नति-संबन्धित।  
निम्नलिखित केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों को, ऐसे भत्ते, जो लागू हो सकते हैं, सहित एवं पूर्व-संशोधित वेतनमान पर ग्रेड वेतन -4,800/- सहित वेतन बैंड 9,300-34,800रुपये (वेतन बैंड -2) के अनुरूप, वेतन मेट्रिक्स स्तर - 8 में, ग्रुप 'बी' केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में उच्च पद में कार्यभार ग्रहण की तारीख से एवं आगे के आदेश तक इस के साथ पदोन्नत किया किया जाता है।

क्रम सं.	कर्मचारी कोड	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	अभ्युक्तियाँ
1	4009	गोपीप्रशांत जे.एस.	17.05.1982	तदर्थ आधार पर
2	5032	धन्य नारायणन एम.	12.08.1980	तदर्थ आधार पर
3	4061	आल्बर्ट जॉर्ज	01.02.1982	तदर्थ आधार पर
4	4564	संदीप उणिक्कुणन	04.12.1981	तदर्थ आधार पर
5	4999	सौम्या पी.	29.01.1981	तदर्थ आधार पर
6	4005	सहीरुधीन एन.	31.05.1982	तदर्थ आधार पर (स्थानापन्न हैसियत पर)

- पदोन्नति आदेश इस शर्त पर जारी किया गया है कि उपर्युक्त अधिकारी दिनांक 01.05.2021 को या उसके बाद तथा कम से कम दिनांक 10.05.2021 तक उच्च पद में कार्यभार ग्रहण करना चाहिए। अधिकारियों को विशिष्ट तैनाती आदेश यथासमय जारी किए जाएंगे।
- क्रमांक 3 के अधिकारी के संबंध में जो राजस्व आसूचना निदेशालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्य कर रहा है, मूल आयुक्तालय में पुनः कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही अधीक्षक का कार्यभार ग्रहण करेगा।
- अधीक्षक की श्रेणी में निरीक्षक की पदोन्नति 28.03.2012 के OP(CAT)सं.4305/2011, OP(CAT)सं.999/2012, OP(CAT)सं.998/2012, OP(CAT) सं.968/2012,कैट (ई.बी.)में OAसं.180/00806/2014 में जारी उच्च न्यायालय आदेश तथा संबधित न्यायालय /अधिकरण के अन्य लंबित केसों के विरुद्ध विभाग द्वारा दायर किए गए SLP No.20810/ 2012के निर्णयों के फलस्वरूप होगी।
- अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 17.05.2021 तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए।

के.आर.उदय मास्कर

[के.आर.उदय मास्कर]  
प्रधान आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र  
प्रति :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिककोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि
4. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
6. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/सी सी पी
7. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ ), कोच्चि/सी सी पी
8. अधीक्षक(सत. /गोपनीय), कोच्चि/सी सी पी
9. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
10. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु





भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE  
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE  
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS  
प्रधान आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER  
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क  
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE  
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING  
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018  
दिनांक: 03.05.2021



E-mail: cexcochi@nic.in  
GEXCOM/II/3/41/2020-ESTT

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

आदेश सं.: 40/2021

विषय : मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में अतिरिक्त प्रभार -संबन्धित।

श्रीमती एलिज़बेथ जॉनसन, मुख्य लेखा अधिकारी की सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, श्री रॉय वर्गीज, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोच्चि आयुक्तालय को मुख्य लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोच्चि आयुक्तालय का अतिरिक्त प्रभार संभालने का निर्देश तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक दिया जाता है। ।

2. यह केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि प्रधान आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[एस.सुरेश]

सहायक आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रति :

1. केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के सभी अपर/संयुक्त आयुक्त
2. केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के सभी उप/सहायक आयुक्त
3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।





भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE  
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE  
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS  
प्रधान आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER  
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क  
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE  
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING  
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018  
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018  
Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

E-mail: cexcochi@nic.in  
फा.सं.11(25)/38/2020-ESTT.

दिनांक: 24.05.2021

आदेश सं.: 41/2021

विषय : श्रीमती प्यारी एलिजबेथ, अधीक्षक, मुन्डक्कयम रेंज, कोट्टयम मंडल के संबंध में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति - संबन्धित ।  
सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के प्रावधानों के शर्तों के अनुसार श्रीमती प्यारी एलिजबेथ, अधीक्षक, मुन्डक्कयम रेंज, कोट्टयम मंडल को सरकारी कर्मचारियों पर लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम की सभी प्रासंगिक शर्तों पर दिनांक 31.05.2021 अपराह्न से स्वैच्छिक रूप से सरकारी सेवा से उसके दिनांक 01.03.2021 के पत्र के अनुसार सेवानिवृत्त होने के लिए अनुमति देने पर प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि की कृपा है ।  
2. श्रीमती प्यारी एलिजबेथ, अधीक्षक द्वारा देय सभी राशि, यदि कोई है, नियमानुसार उसके सेवानिवृत्ति लाभ से वसूल किया जाए ।

सेवा में  
श्रीमती प्यारी एलिजबेथ,  
अधीक्षक,  
मुन्डक्कयम रेंज, कोट्टयम मंडल  
(पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

अजितेश 24.5.21  
(डॉ.अजितेश राधाकृष्णन)  
संयुक्त आयुक्त(का व सत)

प्रतिलिपि प्रस्तुत :

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड/तिरुवनंतपुरम
4. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा, कोच्चि
6. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपील, कोच्चि

प्रतिलिपि

1. उप /सहायक आयुक्त, लेखा परीक्षा आयुक्तालय - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते समय उसे प्र.अधिकारी (डी डी ओ) व सहकारी सोसाइटी से एन ओ सी लेना है ।
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु., लेखा परीक्षा आयुक्तालय
3. प्र.अधिकारी (डी डी ओ), लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि/तिरुवनंतपुरम
4. अधीक्षक, (गोपनीय /सतर्कता), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय
5. अधीक्षक (ई डी पी) -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु





भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/29/2020-Estt

दिनांक: 27.05.2021

आदेश सं. : 42/2021

विषय: ड्राइवर (ग्रेड-1) के कैडर में पदोन्नति - संबन्धित।

निम्नलिखित ड्राइवर (ग्रेड-2) को भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत भत्तों सहित वेतन मैट्रिक्स (29,200-92,300) में स्तर-5 में ड्राइवर (ग्रेड-1) के संवर्ग में पदोन्नत पद में कार्यग्रहण कर लेने की तारीख पदोन्नत किया जाता है। पदोन्नत अधिकारी दिनांक 01.06.2021 तक पदोन्नत पद में कार्यग्रहण कर लेना चाहिए अन्यथा उच्च पद में उनकी पदोन्नति को रद्द समझा जाएगा। अधिकारी को आगे के आदेश तक वर्तमान तैनात स्थान में ही रखा जाता है।

क्रम सं	नाम (श्री)	कर्मचारी कोड	वर्तमान तैनाती स्थान
1	राजेश आर.	7016	सीसीपी

2. उपर्युक्त अधिकारी को नए पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर कार्मिक व प्रशिक्षण का जा. दिनांक 26.09.1981, 05.07.1999 और 27.07.2017 के शर्तों के अधीन वेतन निर्धारण करने के लिए अपना विकल्प देना है। एक बार अगर विकल्प दिया तो उसे अंतिम विकल्प माना जाएगा।

3. नियंत्रण अधिकारियान संबन्धित अधिकारियों के कार्यग्रहण करना /कार्यग्रहण नहीं करना संबन्धित अनुपालन रिपोर्ट इस कार्यालय को दिनांक 21.06.2021 तक भेज देनी चाहिए।

अजितेश 27.5.21

[डॉ.अजितेश राधाकृष्णन]

संयुक्त आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रति प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र।
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि।
3. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोच्चि।

प्रति :

1. अधीक्षक(सत.सिस्टम्स/मु.), हिंदी इकाई, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु कोच्चि।





भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE  
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE  
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS  
प्रधान आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER  
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क  
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE  
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING  
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018  
दिनांक: 27.05.2021

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

फाइलसं. II/(3)/APPT/25/2020-ESTT

आदेश सं.: 43/2021

विषय : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क अधीक्षक की श्रेणी में पदोन्नति-संबन्धित।  
निम्नलिखित केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों को, ऐसे भते, जो लागू हो सकते हैं, सहित एवं पूर्व-संशोधित वेतनमान पर ग्रेड वेतन -4,800/- सहित वेतन बैंड 9,300-34,800 रुपये (वेतन बैंड -2) के अनुरूप, वेतन मैट्रिक्स स्तर - 8 में, ग्रुप 'बी' केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में उच्च पद में कार्यभार ग्रहण की तारीख से एवं आगे के आदेश तक इस के साथ पदोन्नत किया गया जाता है।

क्रम सं.	कर्मचारी कोड	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	अभ्युक्तियाँ
1	4010	अभिलाष कुमार के.	20.05.1980	तदर्थ आधार पर
2	9562	कौस्तुभ कुमार	18.10.1978	तदर्थ आधार पर
3	8463	शहाना एम.	02.03.1980	तदर्थ आधार पर
4	4559	प्रमोद कुमार सविता	12.07.1980	तदर्थ आधार पर
5	8402	निखिल मोहन	26.05.1982	तदर्थ आधार पर
6	1111	एब्रहाम कोशी टी	28.03.1982	तदर्थ आधार पर
7	8526	रंजिनी पी. एस.	31.05.1971	तदर्थ आधार पर (स्थानापन्न हैसियत पर)

- पदोन्नति आदेश इस शर्त पर जारी किया गया है कि उपर्युक्त अधिकारी दिनांक 01.06.2021 को या उसके बाद तथा कम से कम दिनांक 14.06.2021 तक उच्च पद में कार्यभार ग्रहण करना चाहिए। अधिकारियों को विशिष्ट तैनाती आदेश यथासमय जारी किए जाएंगे।
- अधीक्षक की श्रेणी में निरीक्षक की पदोन्नति 28.03.2012 के OP(CAT)सं.4305/2011, OP(CAT)सं.999/2012, OP(CAT)सं.998/2012, OP(CAT) सं.968/2012, कैट (इं.बी.)में OAसं.180/00806/2014 में जारी उच्च न्यायालय आदेश तथा संबंधित न्यायालय /अधिकरण के अन्य लंबित केसों के विरुद्ध विभाग द्वारा दायर किए गए SLP No.20810/ 2012के निर्णयों के फलस्वरूप होगी।
- अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 18.06.2021 तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए।

उद्यम 21/2कल

[के.आर.उदय भास्कर]  
प्रधान आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि
4. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
6. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/सी सी पी
7. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ ), कोच्चि/सी सी पी/
8. अधीक्षक(सत. /गोपनीय), कोच्चि/सी सी पी
9. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
10. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु





भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE  
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE  
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS  
प्रधान आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER  
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क  
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE  
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING  
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404  
दिनांक : 28.05.2021

GEXCOM/II/3/26/2018-Estt

आदेश सं.:44/2021

विषय: कोच्चि सी जी एस टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के उप /सहायक आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन - संबन्धित।

श्री बिजु पॉल एवं श्री वी.एम.राजशेखरन नायर, सहायक आयुक्तों की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप कोच्चि कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप/सहायक आयुक्तों के बीच में निम्नलिखित कार्य आवंटन का आदेश दिनांक 01.06.2021 से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	सौंपे गए प्रभार
1	माइकेल टी.एच.	इडुक्की मंडल
2	पॉल पी जॉर्ज	पेरुम्बावूर मंडल
3	रामचंद्रन एम.आर.	आलुवा मंडल

2. यह केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त, कोच्चि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[एस.सुरेश]

सहायक आयुक्त[का. व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों  
प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

मुख्य आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र  
प्रतिलिपि :-

1. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त, कोच्चि सी जी एस टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय।
2. कोच्चि सी जी एस टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के सभी उप /सहायक आयुक्त,।
3. अधीक्षक (सिस्टम्स) के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।





भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE  
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE  
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS  
प्रधान आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER  
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क  
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE  
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING  
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018  
दिनांक: 28.06.2021



E-mail: [cexcochi@nic.in](mailto:cexcochi@nic.in)

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

फाइलसं. II/(3)/APPT/25/2020-ESTT

आदेश सं.: 45/2021

विषय : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क अधीक्षक की श्रेणी में पदोन्नति-संबन्धित।

निम्नलिखित केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों को, ऐसे भत्ते, जो लागू हो सकते हैं, सहित एवं पूर्व-संशोधित वेतनमान पर ग्रेड वेतन -4,800/- सहित वेतन बैंड 9,300-34,800 रुपये (वेतन बैंड -2) के अनुरूप, वेतन मैट्रिक्स स्तर - 8 में, ग्रुप बी केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में उच्च पद में कार्यभार ग्रहण की तारीख से एवं आगे के आदेश तक इस के साथ पदोन्नत किया किया जाता है।

क्रम सं.	कर्मचारी कोड	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	अभ्युक्तियाँ
1	4037	प्रबोध एस.	02.05.1987	तदर्थ आधार पर
2	6009	श्रीविद्या सुधीर	27.12.1974	तदर्थ आधार पर
3	3001	वैशाख डी	23.01.1983	तदर्थ आधार पर
4	3002	जिष्णु ए जी	02.02.1988	तदर्थ आधार पर
5	7510	जयन के जी	12.04.1978	तदर्थ आधार पर (स्थानापन्न हैसियत पर)

- पदोन्नति आदेश इस शर्त पर जारी किया गया है कि क्रम सं.1 से 4 में सूचित अधिकारी तत्काल तथा कम से कम दिनांक 12.07.2021 तक उच्च पद में कार्यभार ग्रहण करना चाहिए। क्रम सं. 5 में सूचित अधिकारी दिनांक 01.07.2021 को या उसके बाद तथा कम से कम दिनांक 12.07.2021 तक उच्च पद में कार्यभार ग्रहण करना चाहिए। अधिकारियों को विशिष्ट तैनाती आदेश यथासमय जारी किए जाएंगे।
- क्रमांक 5 के अधिकारी के संबंध में जो राजस्व आसूचना निदेशालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्य कर रहा है, मूल आयुक्तालय में पुनः कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही अधीक्षक का कार्यभार ग्रहण करेगा।
- अधीक्षक की श्रेणी में निरीक्षक की पदोन्नति 28.03.2012 के OP(CAT)सं.4305/2011, OP(CAT)सं.999/2012, OP(CAT)सं.998/2012, OP(CAT) सं.968/2012, कैट (ई.बी.)में OAसं.180/00806/2014 में जारी उच्च न्यायालय आदेश तथा संबधित न्यायालय /अधिकरण के अन्य लंबित केसों के विरुद्ध विभाग द्वारा दायर किए गए SLP No.20810/ 2012के निर्णयों के फलस्वरूप होगी।



5. अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 16.07. 2021 तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए।

3/1/21

[के.आर.उदय भास्कर]  
प्रधान आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

प्रति :

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम

2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिककोड

3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि

4. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन

5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि

6. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/सी सी पी

7. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ ), कोच्चि/सी सी पी/

8. अधीक्षक(सत. /गोपनीय), कोच्चि/सी सी पी

9. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।

10. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु





भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क  
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

E-mail: [cexcochi@nic.in](mailto:cexcochi@nic.in)  
GEXCOM/II/(13)/1/2020-ESTT


दिनांक: 18.05.2021

स्थापना परिपत्र

निम्नलिखित पत्र की और ध्यान आमंत्रित किया जाता है।

क्रम सं.	पत्र सं. एवं दिनांक	विषय
1	प.सं. II/3/8/2021 दिनांक 28.04.2021 -Estt(CCA)	राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, शमशाबाद, हैदराबाद में 25 प्रतिशत कोटे के तहत तैनाती के लिए वायु सीमा शुल्क अधीक्षकों (एसीएस) के पैनल की तैयारी।

प्रधान आयुक्त द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि उपरोक्त परिपत्र के जवाब में केवल अधीक्षकों द्वारा ही सम्मति पत्र अग्रेषित किया जा सकता है। उपर्युक्त पत्र की प्रति सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए कोच्चि आयुक्तालय की वेबसाइट - [www.cenexcisekochi.gov.in](http://www.cenexcisekochi.gov.in) से डाउनलोड की जा सकती है।

  
[एस.सुरेश]

सहायक आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में :

1. उप/सहायक आयुक्त, एर्णाकुलम /काक्कनाड/आलुवा/त्रिशूर/चालक्कुडी/पेरुम्बावूर/इडुक्की मंडल, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
2. मुख्यालय कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख
3. अधीक्षक (ई डी पी) आयुक्तालय के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
4. सूचना पट्ट, मु. कोच्चि
5. सूचना पट्ट, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भवन, कन्निकडवु





भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/7/12/2021-ESTT

दिनांक 05.06.2021

स्थापना परिपत्र : 10/2021

मानव संसाधन विकास महानिदेशालय से प्राप्त निम्नलिखित पत्र की और ध्यान आमंत्रित किया जाता है।

क्रम सं.	पत्र सं. एवं दिनांक	विषय
1	फा.सं. 712/19/HRD/WF -II/12 दिनांक 07.06.2021	सेवाकाल में होने वाली विभागीय अधिकारियों की मृत्युओं के मामले में सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कल्याण निधि से आश्रित परिवारों को अनुग्रह-अनुदान वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाए गए समेकित दिशानिर्देशों में छूट।

उपर्युक्त पत्र की प्रति सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए कोच्चि आयुक्तालय की वेबसाइट - [www.cenexcisekochi.gov.in](http://www.cenexcisekochi.gov.in) से डाउनलोड की जा सकती है।

[एस.सुरेश]

सहायक आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में :

- संयुक्त/उप/सहायक आयुक्त, एर्णाकुलम  
/काक्कनाड/आलुवा/त्रिशूर/चालक्कुडी/पेरुम्बावूर/इडुक्की मंडल, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
- अधीक्षक(मुख्यालय)/ कल्याण अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
- अधीक्षक (सिस्टम्स) आयुक्तालय के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
- सूचना पट्ट, मु. कोच्चि

प्रतिलिपि :

- उप आयुक्त (मु.आ.का.),मु.,कोच्चि सूचना हेतु





भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE  
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE  
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS  
प्रधान आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER  
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क  
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE  
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING


आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018  
E-mail: [cexcochi@nic.in](mailto:cexcochi@nic.in) Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404  
GEXCOM/II/(13)/1/2020-ESTT दिनांक: 30.06.2021

स्थापना परिपत्र

निम्नलिखित पत्र की और ध्यान आमंत्रित किया जाता है।

क्रम सं.	पत्र सं. एवं दिनांक	विषय
1	फा.सं.GCCO/II/(22)/43/2021 दिनांक 30.06.2021	जीएसटी दिवस, 2021 के अवसर पर प्रशस्ति पत्र प्रदान करना

उपर्युक्त पत्र की प्रति सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए कोच्चि आयुक्तालय की वेबसाइट - [www.cenexcisekochi.gov.in](http://www.cenexcisekochi.gov.in) से डाउनलोड की जा सकती है।

  
[टोजो डेविस]  
अधीक्षक [प्रशासन]

सेवा में :

1. उप/सहायक आयुक्त, एर्णाकुलम /त्रिशूर मंडल
2. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.विधिक/निवारक/जन संपर्क अधिकारी
3. अधीक्षक (ईडीपी) आयुक्तालय के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
4. सूचना पट्ट, मु. कोच्चि